

पर्या डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर
टिब्बी, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या - 24/2025

अनवान :

मनोज कुमार पुत्र अमरचन्द जाति जाट निवासी डबलीकला तहसील टिब्बी जिला
हनुमानगढ़। वादी

बनाम

1. अमरचन्द पुत्र साहबराम जाति जाट निवासी डबलीकला तहसील टिब्बी जिला
हनुमानगढ़।

2. मन्जू पुत्री अमरचन्द जाति जाट निवासी डबलीकला तहसील टिब्बी जिला
हनुमानगढ़।

3. तहसीलदार राजस्व टिब्बी।

4. तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा अन्तर्गत धारा

88 राजस्थान काश्तकारी अधि० 1955

उपस्थिति:- 1 अधिवक्ता श्री महेश गौड़ :- वादी

2 अधिवक्ता श्री सुनील शर्मा :- प्रतिवादीगण

डिक्री


दिनांक 31/01/25

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री महेश गौड़ व सुनील शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादीगण अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साधित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि चकनं० 10 डीवीएल के खाता सं० 67/62 में कुल 5.073 है० कमाण्ड, अ०क० मय गै०मु० आराजी में प्रतिवादीसं० 1 का 1/6 हिस्सा, चक नं० 10 डीवीएल के खाता सं० 3/3 में कुल 0.126 है० कमाण्ड आराजी में प्रतिवादी सं० 1 का 1/2 हिस्सा, चकनं० 14 डीवीएल के खाता सं० 132/107 में कुल 1.897 है० कमाण्ड, अ०क० मय गै०मु० आराजी में प्रतिवादी सं० 1 का 1/6 हिस्सा, तहसील हनुमानगढ़ के चकनं० 9 एम.जैड डबल्यू के खाता सं० 2/53 में कुल 2.277 है० कमाण्ड, अनकमाण्ड आराजी में 1/6 हिस्सा आराजी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चकनं० 10 डीवीएल के खाता सं० 67/62, इसी चक के खाता सं० 3/3, चक नं० 14 डीवीएल के खाता सं० 132/107, चकनं० 9 एम.जैड डबल्यू

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
टिब्बी

के खाता सं० 2/53 में से प्रतिवादी सं० 1 अमरचन्द का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिग्री आज दिनांक 31/01/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक क्लर्क
टिब्बी